प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 84/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (आठवां संशोधन), विनियम, 2019

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2019– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया है।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 30 सितंबर, 2019 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 5) जारी किया है और इसको 11 नवंबर, 2019 से लागू किया जाना है।

3. प्राधिकरण ने 13 दिसंबर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) जारी करते समय उल्लेख किया था कि संबंधित लागतों के पहलुओं, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार की समीक्षा अलग से की जाएगी और इन प्रभारों में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा यूनीक पोर्टिंग कोड बनाने और विभिन्न चरणों में एसएमएस भेजने की लागत शामिल होगी।

4. भादूविप्रा ने 22 फरवरी, 2019 को ''मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रति पोर्ट ट्रांजैक्शन प्रभार और अन्य संबंधित प्रभारों की समीक्षा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र के द्वारा अन्य के साथ–साथ इस पर टिप्पणियां मांगी गई थी कि क्या एमएनपीएसपी द्वारा प्राप्त किए गए एमएनपी अनुरोधों की कुल संख्या या सफलतापूर्वक पोर्ट किए गए नंबरों पर 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' की गणना करते समय विचार किया जाना चाहिए'?

5. डेटा की जांच करने पर यह देखा गया है कि कुल पोर्टिंग अनुरोधों और सफल पोर्टिंग के बीच का अंतर इन वर्षो के दौरान कम हो रहा है और 7वें संशोधन के लागू होने के बाद और इसमें और कमी होने की संभावना है। इसके अलावा, एमएनपीएसपी को असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर भी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा, कई मामलों में, पोर्टिंग अनुरोध की विफलता एमएनपीएसपी के नियंत्रण से परे कारणों से हो सकती है। जवाब में प्राप्त टिप्पणियों के माध्यम से, अधिकांश हितधारकों ने पोर्ट अनुरोधों की कुल संख्या पर विचार करने का सुझाव दिया। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट ट्रांजैक्शन प्रभार के निर्धारण के लिए प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध को ध्यान में रखने का निर्णय लिया है।

6. इस संशोधन के माध्यम से, अन्य छोटे बदलावों के अलावा, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के प्रावधानों को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजैक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 के अनुरूप बनाया गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481, फैक्स नंबर +91+11–23232677 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।